संख्या– 462/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊःदिनांकः 31 जुलाई, 2020

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु कोविड मरीजों की सैम्पलों की जॉच दर बढ़ाने हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3/66/71–2–2020–698/2020–टीसी–4, दिनांक 27.07.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कोविड मरीजों की सैम्पलों की जॉच दर बढ़ाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 5,00,00,000/– (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से** जनपद के जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

31/7/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–462 (1)/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मण्डलायुक्त, वाराणसी, उ0प्र0।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-31/07/2020

प्रेषण संख्या:- 462
आवंटन आदेश संख्या:- 121-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ पचास लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन